अध्याय 12

हमारा संविधान

पिछली कक्षाओं में हम सरकार के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हमने यह भी जाना है कि सरकार किन्हीं निश्चित नियमों के अनुसार कार्य करती है। सरकार चलाने वाले लोग यह कार्य अपनी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं कर सकते। अब प्रश्न यह उठता है कि ये लोग किस आधार पर नियम बनाते हैं ? और इनका संग्रह कहाँ होता है ? इस अध्याय में हम संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे।

संविधान क्या है ?

जिस प्रकार हमें अपने परिवार संचालन के लिए कुछ नियम और व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी देश की शासन–व्यवस्था के संचालन के लिए भी नियमों तथा कार्य विधि की आवश्यकता होती है। सरकार के गठन, नागरिकों के अधिकार एवं कर्त्तव्य आदि की रूपरेखा इन्हीं नियमों के द्वारा निश्चित की जाती है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि सरकार नागरिकों के लिए कानून बनाने, उन्हें लागू करने और उनकी रक्षा करने जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य करती है। शासन करने के लिए कुछ निश्चित नियमों और कानूनों की जरूरत होती है। यदि ये नियम और कानून न हों तो पूरे देश में व्यवस्थाएँ बिगड़ जाएँगी और समाज में अशांति एवं अराजकता का वातावरण बन जाएगा। अतः ऐसी स्थिति से बचने के लिए कानूनों के द्वारा सरकार को उत्तरदायी बनाया जाता है। इन नियमों एवं कानूनों के द्वारा सरकार और जनता के बीच संबंध तथा जनता में भी आपसी संबंध तय किये जाते हैं। किसी राज्य में शासन, व्यक्ति और उनके आपसी सम्बन्धों को निर्देशित करने वाले सभी नियमों और कानूनों का संग्रह 'संविधान' कहलाता है।

संविधान के प्रायः दो प्रकार हो सकते हैं, जैसे–

1. लिखित संविधान : जिस संविधान के प्रावधान लिखित रूप में होते हैं, वे लिखित संविधान कहलाते हैं, जैसे– भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान।
2. अलिखित संविधान : जिस संविधान के प्रावधान लिखे नहीं जाते बल्कि परम्पराओं के रूप में रहते हैं, उन्हें अलिखित संविधान कहा जाता है, जैसे– ब्रिटेन का संविधान।

आइए, अब हम हमारे संविधान की बात करते हैं ।

भारत के संविधान का निर्माण

हमारे संविधान के निर्माण का विचार आजादी के बाद प्रकट नहीं हुआ, बल्कि स्वतन्त्रता आन्दोलन के साथ–साथ विकसित हुआ था। महात्मा गांधी ने 1922 में यह माँग की थी कि ''भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय स्वयं बनाएंगे।'' स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय भारत के लोगों की इस माँग ने जोर पकड़ा कि वे बाहरी हस्तक्षेप के बिना संविधान बनाना चाहते हैं और यह संविधान ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो। अन्ततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय जनता की

संविधान सभा की माँग को स्वीकार कर लिया गया। ब्रिटिश मंत्रीमण्डल का एक दल, जिसे 'केबिनेट मिशन' कहा गया, भारत आया। 'केबिनेट मिशन' ने अपनी रिपोर्ट में देश में संविधान सभा के गठन की सिफारिश की। जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत में संविधान सभा के 296 जन प्रतिनिधियों के लिए चुनाव हुए तथा 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ के शासकों द्वारा मनोनीत किए गए। राजस्थान से भी संविधान सभा में 14 सदस्य सम्मिलित थे।

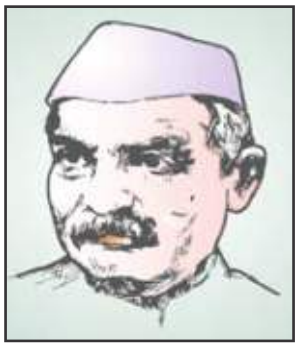
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

9 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा में पं. जवाहर लाल नेहरू ने 13 दिसम्बर 1946 को संविधान के उद्देश्यों को तय करने वाला एक ''उद्देश्य प्रस्ताव'' रखा जो 22 जनवरी, 1947 को सभी की सहमति से पारित हुआ। संविधान सभा में एक प्रारूप समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेड़कर थे। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 114 दिन बैठकों के बाद हमारे संविधान को तैयार किया। 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा ने इसे पारित किया और 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया है। भारत सरकार ने 26 नवम्बर को 'संविधान दिवस' घोषित किया है। पूरे देश में 26 नवम्बर 2015 को प्रथम संविधान दिवस मनाया गया।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर

गतिविधि–

शिक्षक के निर्देशन में अपनी कक्षा में संविधान सभा की मॉक बैठक आयोजित करके अपनी कक्षा के संविधान का निर्माण कीजिए।

भारत के संविधान की विशेषताएँ

हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

1. **सबसे लम्बा एवं लिखित संविधान**–हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। यह एक विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना, कुल 395 अनुच्छेद हैं जो कि 22 भागों में विभक्त हैं और 8 अनुसूचियाँ हैं। विभिन्न परिवर्धनों के बाद वर्तमान (सन् 2013) में इसमें 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। विश्व का कोई भी संविधान इतना बड़ा नहीं है।
2. **प्रस्तावना**–हमारे संविधान में प्रस्तावना को भी सम्मिलित किया गया है। यह प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का परिचय एवं भूमिका है। इसमें संविधान का सार है।
3. **विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा**–दुनिया के दूसरे देशों के संविधानों से भी अनेक बातों को लेकर और उनमें हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से परिवर्तन करके उन्हें हमारे संविधान में शामिल किया गया है, जैसे– मौलिक अधिकार एवं स्वतन्त्र न्यायपालिका की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के

संविधान से, राज्य के नीति निदेशक तत्त्व आयरलैण्ड से, संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से प्रेरित हैं।

4. **पंथ निरपेक्षता**–संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है। इसका अर्थ है कि राज्य सभी पंथों की समान रूप से रक्षा करेगा और स्वयं किसी भी पंथ को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। भारत में रहने वाले लोगों को अपने–अपने विश्वास के अनुसार पंथ/मत/धर्म का पालन करने की आजादी है।

5. **समाजवाद**– संविधान सभी भारतीय नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समानता की बात करता है। इन क्षेत्रों में किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके लिए हमारे संविधान द्वारा ऐसे अनेक संरक्षणात्मक प्रावधान किए गए हैं जिनसे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को समान और विशेष अवसर प्राप्त हो सके।

6. **लोकतांत्रिक गणतंत्र**– संविधान के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। सरकार का चुनाव जनता करती है। चुनी हुई सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हुए ही कार्य करती है। हमारे शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है। यह पद वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। अतः हमारा देश गणतन्त्र कहलाता है।

7. **मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्त्तव्य**– हमारे संविधान द्वारा नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास और शोषण से मुक्ति के लिए छह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों के साथ ही नागरिकों के ग्यारह मौलिक कर्त्तव्य भी निश्चित किये गए हैं, जिनका नागरिकों से पालन करने की अपेक्षा की गई है।

8. **नीति निदेशक तत्त्व**– जनता के हित को ध्यान में रख कर कानून तथा नीति बनाने और आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए संविधान में सरकारों को निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें संविधान में नीति निदेशक तत्त्व कहा गया है। नीति निदेशक तत्त्वों का कार्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अतः सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इनका पालन कर अपनी नीतियों का इस प्रकार निर्माण करे जिससे प्रत्येक देशवासी का कल्याण हो सके। हालाँकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता।

9. **संघात्मक शासन व्यवस्था**– हमारा संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। इसमें संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण, जैसे–संघीय एवं प्रांतीय स्तरों की सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, स्वतन्त्र न्यायपालिका आदि शामिल हैं। हमारे संविधान में भारत को 'राज्यों के संघ' के रूप में बताया गया है। परन्तु भारतीय संघ न तो राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम है और न ही किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार है।

10. **संसदीय शासन व्यवस्था**– संविधान के द्वारा देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति संवैधानिक

अध्यक्ष है और शासन की वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद् में निहित होती हैं, जो की अपने कार्यों के लिए संसद के सीधे जनता द्वारा चुने गये सदन 'लोकसभा' के प्रति जिम्मेदार होती है।

11. **स्वतंत्र न्यायपालिका–** देश में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है ताकि जनता को न्याय मिल सके और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके तथा संविधान के अनुसार ही शासन चलता रहे। न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों से स्वतन्त्र रखा गया है।

12. **कठोर एवं लचीला–** हमारे संविधान में बदलाव न तो आसानी से होता है, न ही कठोरता से। संविधान के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रावधानों को बदलने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तो कुछ प्रावधानों को साधारण बहुमत से ही बदल लिया जाता है।

13. **इकहरी नागरिकता–** वैसे तो हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है, किन्तु भारतीय नागरिकों को उनके अपने राज्य की नागरिकता नहीं दी गई है। वे केवल भारत के ही नागरिक हैं। इकहरी नागरिकता देश की एकता को बढ़ावा देती है।

14. **सार्वभौम वयस्क मताधिकार–** हमारे संविधान में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार का प्रावधान है।

इन सभी विशेषताओं से हमें यह ज्ञात होता है कि संविधान सभा ने भारत के लिए एक उत्कृष्ट संविधान बनाने का प्रयास किया है। इस संविधान में अनेक विशिष्टताओं और अवधारणाओं को सम्मिलित करते हुए इसे जन आकांक्षाओं का प्रतीक एवं विश्व का अद्वितीय संविधान बनाया है।

शब्दावली

संविधान – किसी राज्य में शासन, व्यक्ति और उनके आपसी सम्बन्धों को निर्देशित करने वाले कानूनों का संग्रह।

व्यवस्थापिका – सरकार का वह अंग जो कानून बनाता है, जैसे कि हमारी संसद।

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए–

(i) भारत गणराज्य है, क्योंकि–

(अ) भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है

(ब) भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है

(स) राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है

(द) प्रधानमंत्री सर्वोच्च पदाधिकारी है ( )

(ii) भारत का संविधान लागू हुआ–

(अ) 28 नवम्बर 1949 (ब) 26 जनवरी 1930

(स) 26 जनवरी 1950 (द) 28 जुलाई 1950 ( )

2. संविधान के प्रकार बताइए।
3. प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ?
4. संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे ?
5. हमारे संविधान का निर्माण कितनी अवधि में हुआ ?
6. भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है?
7. हमारे संविधान की निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
8. हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं ? संक्षेप में वर्णन कीजिए।